

Tampering with Railway Tracks

1954. **Shri Oza:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether any attempt to tamper with track was made near Jetpur (Morvi) Station, Western Railway, on the 5th June, 1958;

(b) whether any inquiry was held in this incident; and

(c) if so, what is the finding of such inquiry?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes. An attempt to tamper with the track was made on 5th June, 1958 at mile 727-1 between Morvi and Jetpur.

(b) Yes. Sub-Inspector of Police, Morvi has registered the offence under section 126(1) of the Indian Railways Act and section 379 I.P.C. and investigation is in progress.

(c) The result of the police investigation is awaited.

Representation from Merchants Association at Kharagpur

1055. { **Shri S. C. Samanta;**
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3540 on the 8th May, 1958 and state:

(a) whether the representation received from the Merchants Association at Kharagpur on the South Eastern Railway has been considered and decision taken;

(b) whether it is a fact that in all electrical establishments preference is given to consumers for industrial purposes; and

(c) if so, why pooled rate has been applied to all consumers at Kharagpur indiscriminately?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) the representation received from the

Merchants Association at Kharagpur is under consideration;

(b) and (c). Generally power supply authorities have different tariff for domestic and power purposes. The Railways are not in the business for supply of Power and generate normally only for their own needs and those of their staff. They have fixed one rate for domestic and power purposes for their staff and have applied the same principle in charging the outside consumers at Kharagpur. Compared to the rate charged by the West Bengal Electricity Board, the rates charged by the Railway are lower for electric power used for domestic purposes.

Naraj and Tikarapada Project

1056 **Shri Panigrahi:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3603 on the 8th May, 1958 and state whether the construction of proposed dams at Naraj and Tikarapada for prevention of floods in River Mahanadi will be taken up during the Second Plan period?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): There is no prospect of taking up the construction of a dam either at Naraj or at Tikarapada during the Second Plan period. Experience of regulation of Hirakud Reservoir in 1956 and 1957 has indicated that there is enormous flood control potential at Hirakud. The Chief Engineer, Hirakud Dam Project, is of the opinion that no more flood control reservoirs on the main stem of the Mahanadi downstream are necessary.

पूर्वोत्तर रेलवे की लाइनें

१०५७. { **श्री भक्त बर्दान :**
श्री स० चं० सायन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद व कोटद्वार स्टेशनों के बीच श्रीर रायवाला व

श्रृषिकेश स्टेशनों के बीच तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद और रामनगर स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां कब बिछायी गयी थीं ;

(ख) क्या कभी उन पटरियों को बदला भी गया है ;

(ग) क्या उन पटरियों का जीवन समाप्त हो चुका है ;

(घ) क्या यह सच है कि इसी कारण से उन पटरियों पर चलने वाली रेल गाड़ियों की चाल नहीं बढ़ाई जा सकती और रात्रि के समय वहां गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं, और

(ङ) उपरोक्त स्थिति में सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री २० बं० रामस्वामी):

(क) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा सेक्शन (१५ मील) और रायवाला-श्रृषिकेश सेक्शन (७ मील) यातायात के लिये क्र.मश. १८६६ और १६२७ में खोले गये। पूर्वोत्तर रेलवे का मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन (७७.७५ मील) यातायात के लिये १६०७-०८ में खोला गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन की ४१।१।४ पौंड की पटरियों और फिशप्लेटों की मियाद खत्म हो चुकी है।

(घ) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा और रायवाला-श्रृषिकेश सेक्शनो पर जितना यातायात होता है, उसे देखते हुए इन सेक्शनो पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने या रात के समय गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं जान पड़ती। मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी पटरियों

और फिशप्लेटों से बहुत अधिक काम निचा जा चुका है।

(ङ) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा और रायवाला-श्रृषिकेश सेक्शनो पर लाइन की 'रिलीयंग' करने का इस समय विचार नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन पर चालू वित्तीय वर्ष में अधिक बज्जती पटरियां बिछाने की मंजूरी दे दी गई है।

डाक तथा तार विभाग में विभि.गातिरिक्त कामचारियों सम्बन्धी समिति -

श्री भगत वंशज :
श्री २० बं० तार मश :
१०५८. श्री राम कृष्ण :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री संबंदम् :

यथा परिवहन तथा संचार मंत्री ८ मई, १९५८ के भ्रताराकित प्रश्न संख्या ३५०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की विभागातिरिक्त प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-घटल पर रखी जायेगी ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अब तक उस समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ; और

(ङ) समिति की रिपोर्ट देर से देर कब तक मिल जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री २० बं० वाटिल) : (क) जी नहीं।